



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

6वां, 7वा एंव 8वां तल, टावर-सी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर,
नारोजी नगर, नई दिल्ली - 110029

याचिका सं. 478/टीएल/2024

दिनांक: 20.12.2025

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप-धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस

पावरग्रिड बीकानेर नीमराणा ट्रांसमिशन लिमिटेड, बी-9, कुतुब इस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110016 द्वारा विनियमित टैरिफ तंत्र (आरटीएम) मोड के अधीन पारेषण योजनाओं अर्थात् "मैसर्स एनटीपीसी रीन्यूएबल एनर्जी लि. के 500 मेगावाट आरईजीएस के अंतरसंयोजन के लिए 765/400/220 केवी बीकानेर-II पीएस पर 220 केवी लाइन बे के 02 नंबर का कार्यान्वयन" और "765/400/220 केवी बीकानेर-III पीएस पर देशराज सोलर एनर्जी प्रा. लि. (डीएसईपीएल) के 300 मेगावाट आरईजीएस के अंतरसंयोजन के लिए 220 केवी लाइन बे के 01 नंबर और मैसर्स सनब्रीज रीन्यूएबल्स नाइन प्रा. लि. (एसआरपीएल) (02 नंबर बे) के 1400 मेगावाट आरपीपीडी और मैसर्स एमआरएस बिल्डविजन प्रा. लि. (एमबीपीएल) (01 नंबर बे) के 1000 मेगावाट आरपीपीडी के अंतरसंयोजन के लिए 400 केवी लाइन बे के 3 नंबर के कार्यान्वयन" (जिसे इसके पश्चात् "पारेषण परियोजना" कहा गया है) के लिए पावरग्रिड बीकानेर नीमराणा ट्रांसमिशन लिमिटेड को पृथक आरटीएम पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धारा 14 के अधीन आवेदन किया गया है। परियोजना का कार्यक्षेत्र जिसके लिए पारेषण अनुज्ञप्ति की मांग की गई है, निम्नानुसार है:

(क) सीटीयूआईएल द्वारा दिनांक 13.09.2024 के ओएम द्वारा प्रदान किया गया "मैसर्स एनटीपीसी रीन्यूएबल एनर्जी लि. के 500 मेगावाट आरईजीएस के अंतरसंयोजन के लिए 765/400/220 केवी बीकानेर-III पीएस पर 220 केवी लाइन बे के 02 नंबर का कार्यान्वयन"। विस्तृत कार्य-क्षेत्र निम्नानुसार है:

क्र. सं.	पारेषण योजना का कार्य-क्षेत्र	क्षमता/ किलोमीटर	कार्यान्वयन की समय-सीमा
1	मैसर्स एनटीपीसी रीन्यूएबल एनर्जी लि. (एनटीपीसी-आरईएल) के 500 मेगावाट आरईजीएस के अंतरसंयोजन के लिए 765/400/220 केवी बीकानेर-III पीएस पर 02 नंबर 220 केवी लाइन बे	220 केवी लाइन बे- 2 नंबर	31.12.2025
कुल अनुमानित लागत:			रु.11.14 करोड़

(ख) सीटीयूआईएल द्वारा दिनांक 23.10.2024 के ओएम द्वारा प्रदान किया गया "765/400/220 केवी बीकानेर-III पीएस पर मैसर्स देशराज सोलर एनर्जी प्रा. लि. (डीएसईपीएल) के 300 मेगावाट आरईजीएस के अंतरसंयोजन के लिए 220 केवी लाइन बे के 01 नंबर और मैसर्स सनब्रीज रीन्यूएबल्स नाइन प्रा. लि. (एसआरपीएल) (02 नंबर बे) के 1400 मेगावाट आरपीपीडी और मैसर्स एमआरएस बिल्डविजन प्रा. लि. (एमबीपीएल) (01 नंबर बे) के 1000 मेगावाट आरपीपीडी के अंतरसंयोजन के लिए 400 केवी लाइन बे के 3 नंबर के कार्यान्वयन"। विस्तृत कार्य-क्षेत्र निम्नानुसार है:

क्र. सं.	पारेषण योजना का कार्य-क्षेत्र	क्षमता/ किलोमीटर	कार्यान्वयन की समय-सीमा
1	मैसर्स देशराज सोलर एनर्जी प्रा. लि. (डीएसईपीएल) के 300 मेगावाट आरईजीएस के अंतरसंयोजन के लिए 765/400/220 केवी बीकानेर-III पीएस पर 1 नंबर 220 केवी लाइन बे	220 केवी लाइन बे- 1 नंबर	31.03.2026
2	मैसर्स सनब्रीज रीन्यूएबल्स नाइन प्रा. लि. (एसआरपीएल) (02 नंबर बे) के 1400 मेगावाट आरपीपीडी एंव मैसर्स एमआरएस बिल्डविजन प्रा. लि. (एमबीपीएल) (01 नंबर बे) के 1000 मेगावाट आरपीपीडी के अंतरसंयोजन के लिए 765/400/220 केवी बीकानेर-III पीएस पर 400 केवी लाइन बे के 3 नंबर	400 केवी लाइन बे (संबद्ध टाई बे के साथ) - 3 नंबर	22.08.2026
कुल अनुमानित लागत:			रु. 56.09 करोड़

- सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दिनांक 18.12.2024 के अपने पत्र के माध्यम से प्रस्तावित पारेषण प्रणाली की स्थापना के लिए आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु संस्तुत किया है।
- रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग ने याचिका सं. 478/टीएल/2024 में दिनांक 20.12.2025 के आदेश द्वारा उपर्युक्त पैरा 1 में यथोचित/खिल पारेषण योजना की स्थापना हेतु आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति जारी किए जाने का प्रस्ताव किया है।
- पावरग्रिड बीकानेर नीमराणा ट्रांसमिशन लिमिटेड को अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आवेदक द्वारा पारेषण के संबंध में उपलब्ध एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रति को वेबसाइट www.powergrid.in/subsidiaries पर देखा जा सकता है या निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा इसका निरीक्षण किया जा सकता है।
- नोटिस, अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (5) के खंड (क) के अनुसार प्रदान किया गया है कि उक्त के अनुसार, आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आयोग के प्रस्ताव में सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हो, को उक्त पत्र पर दिनांक 4.2.2025 तक अधोहस्ताक्षरी को भेज दिया जाए। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त हुए सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- आयोग द्वारा दिनांक 6.2.2025 को आवेदन पर आगे की सुनवाई की जाएगी। कोई भी व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दर्ज करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वविवेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए/डीए/डीए नहीं दिया जाएगा।

हस्ता/-
(हरप्रीत सिंह पृथी)
सचिव